

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 393/2022

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2022/...502...

प्रार्थी

पूनावाला हाउसिंग फाईनेन्स बनाम लिमिटेड (पूर्व में मेग्मा हाउसिंग फाईनेन्स लि. के नाम से ज्ञात) जिसका पंजिकृत कार्यालय 602, 6 फ्लोर, जीरो वन, आईटी पार्क, सर्वे नम्बर 79/1, घोरपडी, मुंघवा रोड, पुणे-411036 एवं शाखा कार्यालय- तृतीय तल, प्रेस्टीज टॉवर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी संजय ओझा।

अप्रार्थीगण

1. नितेश कुमार पुत्र राम बाबू शर्मा पता-वार्ड नम्बर-7, बस स्टेण्ड बालाजी मंदिर के पास, बिदियाद नागौर राजस्थान 341542 अन्य पता-खसरा नम्बर 164, ग्राम बिदियाद, पंचायत समिति परबतसर, जिला नागौर राजस्थान 341542
2. रामबाबू शर्मा पुत्र श्याम लाल
3. ललिता शर्मा पत्नी राम बाबू शर्मा
4. आशु शर्मा पुत्र राम बाबू शर्मा पता-वार्ड नम्बर-7, बस स्टेण्ड बालाजी मंदिर के पास, बिदियाद नागौर राजस्थान 341542
5. परसराम पुत्र हजारी लाल पता-न्यू कॉलोनी, बिदियाद परबतसर नागौर राजस्थान 341542

आदेश

दिनांक: 17-01-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रुपये 17,65,000/- (अक्षरे सत्रह लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र) दिनांक 09.09.2017 का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति-ललिता देवी पत्नी श्री रामबाबू शर्मा की अचल सम्पति जो कि खसरा नम्बर 164 ग्राम बिदियाद पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर राजस्थान 341542 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं। पूर्व में-20 फीट चौड़ा आम रास्ता, पश्चिम में-रामकरण पुत्र भंवर लाल दग्दी का मकान, उत्तर में-20 फीट चौड़ा आम रास्ता, दक्षिण में-मंगल सिंह पुत्र जालिम सिंह राजपूत का मकान जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 01.11.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 17,92,674/- (अक्षरे रुपये सत्रह लाख बानवे हजार छः सौ चौहतर मात्र) दिनांक 22.12.2021 तक व दिनांक 23.12.2021 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 27.12.2021 को रजिस्टर्ड दिये गये एवं उक्त नोटिसों का अखबार प्रकाशन भी करवाया गया परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 17,92,674/- (अक्षरे रुपये सत्रह लाख बानवे हजार छः सौ चौहतर मात्र) दिनांक 22.12.2021 तक व दिनांक 23.12.2021 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

से संबंधित डोक्यूमेंट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिव्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- ललिता देवी पत्नी श्री रामबाबू शर्मा की अचल सम्पत्ति जो कि खसरा नम्बर 164 ग्राम बिदियाद पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर राजस्थान 341542 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। पूर्व में-20 फीट चौड़ा आम रास्ता, पश्चिम में-रामकरण पुत्र भंवर लाल दग्दी का मकान, उत्तर में-20 फीट चौड़ा आम रास्ता, दक्षिण में-मंगल सिंह पुत्र जालिम सिंह राजपूत का मकान जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेंट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 17,65,000/- (अक्षरे सत्रह लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र) दिनांक 09.09.2017 प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर, अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या नलिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- ललिता देवी पत्नी श्री रामबाबू शर्मा की अचल सम्पत्ति जो कि खसरा नम्बर 164 ग्राम बिदियाद पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर राजस्थान 341542 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। पूर्व में-20 फीट चौड़ा आम रास्ता, पश्चिम में-रामकरण पुत्र भंवर लाल दग्दी का मकान, उत्तर में-20 फीट चौड़ा आम रास्ता, दक्षिण में-मंगल सिंह पुत्र जालिम सिंह राजपूत का मकान जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर